घायल है भारत की आत्मा

दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

नकाब उतर चुका है और पंजे दिखने लगे हैं।

हिंदू राष्ट्र का अभियान रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इसके इंजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके मोर्चे पर गृहमंत्री अमित शाह हैं। इसका डिजाइनर-इंजीनियर आरएसएस है, जो बड़े मजे से अब इसे देख रहा है।

मुसलमानों को दो टूक संदेश

आश्चर्य सिर्फ इस बात का है कि चुनाव में जोरदार जीत के बाद भाजपा तेजी से अपने एजंडे को बढ़ाती जा रही है, जैसे- तीन तलाक का अपराधीकरण, असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), संविधान के अनुच्छेद 370 को खारिज कर देना, और अब नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पास करा लेना। ये सब हिंदू राष्ट्र परियोजना को आगे बढ़ाने की विस्तृत योजना का हिस्सा हैं।

इन कदमों के पीछे जो इरादा है, वह मुसलमानों को इस बात का स्पष्ट संदेश देना है कि वे इस देश के समान नागरिक नहीं हैं। ये कदम गोलवलकर-सावरकर के 'भारत एक हिंदू राष्ट्र' के सिद्धांत को दोहराते हैं।

नागरिकता कानून, 1955 जन्म से नागरिकता, वंश से नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता, नागरिकता प्रदान करके नागरिकता, और क्षेत्र के विलय से नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। भारत में रह रहे बाकी दूसरे लोग 'अवैध प्रवासी' होंगे। विदेशी नागरिक कानून, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) कानून, 1920 इन पर लागू होगा और ये लोग निष्कासित किए जा सकेंगे। किसी व्यक्ति का धर्म चाहे वह नागरिक हो या अवैध प्रवासी, भारतीय नागरिकता की अवधारणा के प्रतिकूल है।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के पारित हो जाने के बाद ये सब बदल गए हैं। विधेयक संदिग्ध है। कई अध्येताओं और पूर्व जजों ने अपनी राय व्यक्त करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है।

सवाल कई, जवाब कोई नहीं

यह विधेयक किसलिए है? यह तीन देशों- अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को चुनता है। यह छह 'अल्पसंख्यक समुदायों'- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को चुनता है। यह मानकर चलता है कि इन तीन देशों में से किसी भी एक देश में इन छह समुदायों में से किसी एक भी समुदाय के व्यक्ति, जिसने 31 दिसंबर, 2014 या इससे पहले भारत में प्रवेश किया था, वह अपने गृह देश में 'प्रताड़ित' था और इसलिए कार्यपालिका के आदेश के जरिए उसे विदेशी नागरिक कानून और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) कानून से छूट प्रदान की जाती है। ऐसा व्यक्ति 'अवैध प्रवासी' नहीं होगा।

संक्षेप में इस संशोधन विधेयक ने नागरिकता पाने का नया रास्ता बना दिया है- कार्यकारी व्यवस्था से नागरिकता।

कई सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल पूछे गए, लेकिन सरकार के पास इनका कोई जवाब नहीं था-

1- इस विशेष व्यवहार के लिए सिर्फ तीन देशों को क्यों चुना गया और श्रीलंका, म्यांमा, भूटान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को छोड़ दिया गया?

2- इस विशेष रियायत के लिए सिर्फ छह अल्पसंख्यक समुदायों को ही क्यों चुना गया और दूसरे समुदायों को छोड़ दिया गया, जो अपने गृह देश में भेदभाव के शिकार हैं, क्योंकि वे वहां बहुसंख्यक नहीं हैं, जैसे अहमदिया, हाजरा, बलूच, रोहिंग्या, यहूदी आदि?

3- इब्राहीम धर्म तीन हैं, सिर्फ ईसाई धर्म को ही क्यों शामिल किया गया, यहूदी धर्म और इस्लाम को क्यों छोड़ दिया गया?

4- हिंदुओं को क्यों शामिल किया गया, और क्यों श्रीलंकाई हिंदुओं को बाहर कर दिया गया? क्यों ईसाइयों को शामिल किया, लेकिन भूटान के ईसाइयों को छोड़ दिया गया?

5- विधेयक का आधार धार्मिक उत्पीड़न है। लेकिन जो लोग भाषायी, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जातीय आदि आधार पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या है? गृह युद्ध का उत्पीड़न झेलने वालों के बारे में क्या है?

6- निर्धारित तिथि 31 दिसंबर, 2914 ही क्यों रखी गई? असम समझौते में रखी गई निर्धारित तारीख 25 मार्च, 1971 पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या 25 मार्च, 1971 वाली निर्धारित तिथि को खारिज कर दिया गया है?

7- संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्यूलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित 'द इनर लाइन' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को संशोधित कानून के प्रावधानों से छूट देने का मकसद क्या है? इस छूट के नतीजे क्या होंगे?

8- क्या सीएबी और एनआरसी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं? किसे पहले लागू किया जाएगा, सीएबी को या फिर एनआरसी को?

9- जो लोग ये दावा करेंगे कि वे भारत में पैदा हुए हैं या 25 मार्च, 1971 के पहले भारत में आए हैं, क्या अब उनको कहानी बदलनी पड़ेगी और यह दावा कि वे अपने गृह देश में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार थे? कौन-सा दावा झूठ होगा और कौनसा सही?

मुसलमानों को छोड़ने के नतीजे

अगर सीएबी और एनआरसी दोनों लागू हो जाएंगे तो एनआरसी के तहत बाहर किए गए गैर-मुसलिम सीएबी के तहत शामिल कर लिए जाएंगे। कुल मिलाकर नतीजा यह होगा कि सिर्फ मुसलमान अवैध प्रवासियों के तौर पर पहचाने जाएंगे और उन्हें बाहर किया जाएगा। इसके नतीजे बहुत ही डरावने होंगे।

एक बार बाहर किए जाने के बाद सरकार को निकाले गए लोगों को हिरासत केंद्रों में तब तक रखना होगा जब तक कि कोई देश या संबंधित देश उन्हें स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हो जाते। ये हिरासत शिविर कहां बनाए जाएंगे और ऐसे कितने शिविरों की जरूरत पड़ेगी? क्या 'अवैध प्रवासी' अपनी बाकी जिंदगी तक इन शिविरों में गुजारेंगे? उनके बच्चों की कानूनी स्थिति क्या होगी?

इसके अलावा भारत और विदेशों में इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नतीजे भी होंगे, लाखों मुसलमान अनिश्चित काल के लिए बंदी बन कर शिविरों में कैद हो जाएंगे। और भारत में इस सफाए का असर यह होगा कि श्रीलंका, म्यांमा और पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर देश छोड़ने के लिए दबाव बढ़ेगा।

यह स्पष्ट था कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संदर्भ में जांचे जाने पर सीएबी की संवैधानिक वैधता पर सोच-समझ कर विचार नहीं किया।

असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा, जिनमें सबसे ज्यादा हिंदू हैं, वे भी प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं।

सीएबी और चारों ओर भड़की अशांति से उपजे सवालों के बावजूद संसद ने कार्यपालिका के साथ मिल कर इस असंवैधानिक विधेयक को पास करा लिया। अब समानता और संवैधानिक नैतिकता की बहाली का काम न्यायपालिका के पाले में जाएगा।

नक्सलवाद का नासूर

विवेक ओझा

इस वक्त देश के ग्यारह राज्यों के नब्बे जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। इनमें झारखंड के कुल तेईस में से उन्नीस जिलों को नक्सल और माओवाद प्रभावित माना गया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मताबिक वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए झारखंड के तेरह जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए क्रमशः अस्सी करोड़ और दो सौ साठ करोड़ रुपए निर्गत किए गए हैं। नक्सलवाद और माओवाद से निपटने के उद्देश्य से इस वर्ष जुलाई में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें प्रमुख सचिव, प्रभावित राज्यों के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), खुफिया ब्यूरो के निदेशक (डीआईबी), केंद्रीय सशस्त्र बलों के महानिदेशक शामिल हुए। इस समीक्षा बैठक में निष्कर्ष रूप में कहा गया कि पिछले पांच वर्षों में वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में लगातार कमी आई है और भौगोलिक रूप से भी इसके प्रभावित क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई है। जब 2018 में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें पाया गया था कि वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव एक सौ छब्बीस जिलों से कम होकर बयासी जिलों तक सिमट गया है, लेकिन सावधानी के तौर पर आठ और जिलों को इस सूची में जोड़ लिया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2018 में चौवालीस जिलों को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची से बाहर निकाल दिया गया था।

सरकार का मानना है कि उसकी नीतियां, सामाजिक-आर्थिक समावेशन रणनीति, सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और अन्य ठोस उपाय इस स्तर पर किए गए कि सरकार को इस मामले में सफलता मिली। राज्यों की ओर से सुरक्षा के संबंध में उनकी चिंताओं और सुझावों को दर्ज किया गया। वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों की कार्य स्थिति में सुधार करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए मोबाइल कम्युनिकेशन पर भी चर्चा की गई।

हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद और विशेषकर नक्सलवाद से निपटने में मिली सफलता पर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। 2014 से अप्रैल, 2019 के दौरान इसके पहले के पांच वर्षों की तुलना में नक्सली हिंसा से जुड़ी घटनाओं में तैंतालीस फीसद तक कमी आई है। गृह मंत्रालय के अनुसार नक्सली हिंसा की दो-तिहाई घटनाएं सिर्फ दस जिलों में हुई हैं। भारत सरकार का मत है कि नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण नक्सली हिंसा और इसके भौगोलिक विस्तार में कमी आई है। 2016-19 के बीच नक्सली हिंसा की संख्या 2013-15 की तुलना में 15.8 फीसद कम रही, और इस कारण होने वाली मौतों की संख्या में भी 16.6 फीसद कमी आई। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि वह नक्सलवाद से निपटने के लिए एक समग्र नीति लागू कर रही है। इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षाबलों की तैनाती करने के साथ ही विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि माओवाद से प्रभावित अब केवल दस राज्य- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं, जो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न करते हैं।

वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर की जाने वाली नक्सली और माओवादी हिंसक गतिविधियां भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक बड़ा खतरा हैं। शासन तंत्र, पूंजीपति और उद्योगपतियों को संदेह की नजर से देखने वाले नक्सली और माओवादी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के खिलाफ अपनी समानांतर सरकार चलाने में विश्वास रखते हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, विकास के लाभों का समतामूलक वितरण न होना, गरीबी और बेरोजगारी आदि के चलते उग्रवाद का प्रसार हुआ है। जनजातीय समुदाय में अत्यंत रक्ताल्पता और अन्य बीमारियों से होने वाली मौत, जीविका के साधनों का अभाव, लघु वन उत्पादों के स्वामित्व को छीनने, भूमि स्वामित्व और अधिग्रहण के मामलों के फलस्वरूप उत्पन्न विस्थापन और सामाजिक आर्थिक बहिष्करण आदि आधारों पर वामपंथी उग्रवादी सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न खड़े करते हैं।

भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए इन क्षेत्रों में समावेशी विकास की रणनीति अपनाई है। सबसे पहले इन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन पर बल दिया गया है। इन क्षेत्रों में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने वित्तीय समावेशन के लिए बत्तीस वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में प्रथम चरण में 1788 ब्रांच पोस्ट ऑफिस (142 महाराष्ट्र में) की स्वीकृति दी है, जिसमें से 1484 ब्रांच पोस्ट ऑफिस कार्यशील हो चुके हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने वर्ष 2015 से 2018 के अंत तक तीस सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 604 नई बैंक शाखाएं और 987 एटीएम स्थापित किए हैं, जिससे इन क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं और सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा इन क्षेत्रों में रूपे डेबिट कार्ड को निर्गत करने और बैंक मित्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की गई है। नाबार्ड ने भी भारत के अनुसूचित बैंकों को ऐसे क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने में मदद करने और सौर शक्ति वाले वीसैट कनेक्टिविटी देने का भी प्रस्ताव किया है।

सामाजिक समावेशन के तहत इन क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के लिए रोशनी नामक स्कीम चलाई गई थी, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अब समाधान नामक रणनीति बनाई है, जिसमें कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण, कारगर खुफिया तंत्र, कार्ययोजना के मानक, कारगर प्रोद्यौगिकी, प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना और नक्सलियों के वित्तपोषण को विफल करने की रणनीति को शामिल किया गया है।

हाल में भारत सरकार द्वारा अवसंरचनात्मक विकास और सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण और आसूचना प्रणालियों को मजबूती देने के चलते वामपंथी उग्रवादी में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। इसके अलावा पुलिस बलों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। उग्रवाद प्रभावित राज्यों में स्थानीय पुलिस की सतर्कता और दक्षता के बिना वामपंथी उग्रवाद समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों की प्रमुख योजनाओं के अलावा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पहल की गई है, जिसमें प्रमुख तौर पर सड़क और टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा शिक्षा शामिल हैं।

इस दशकों पुरानी समस्या से निपटने के लिए, संबंधित राज्य सरकारों के साथ विभिन्न उच्चस्तरीय विचार-विमर्श के बाद यह उपयुक्त समझा गया है कि तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावी क्षेत्रों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के परिणाम मिलेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए वामपंथी उग्रवादी हिंसा के संबंध में इसके विस्तार और प्रवृत्तियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है और योजना तैयार करने, विभिन्न उपायों के क्रियान्वयन और उनकी निगरानी के संबंध में विशेष ध्यान देने के लिए ग्यारह राज्यों में नब्बे सर्वाधिक प्रभावित जिलों को लिया गया है। इसके पीछे सोच माओवादी खतरे से एक ठोस तरीके से निपटने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि करने की है।

मुद्दा

> केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों की प्रमुख योजनाओं के अलावा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पहल की गई है, जिसमें प्रमुख तौर पर सड़क और टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा शिक्षा शामिल हैं।

समस्याएं और भी हैं

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

इस हफ्ते मेरा पक्का इरादा था नरेंद्र मोदी के दूसरे शासनकाल के बारे में कुछ अच्छा लिखने का। इस नेक इरादे को अमल में लाने के लिए मैं भारत सरकार के एक आला अधिकारी से मिलने गई, यह जानने के लिए कि प्रधानमंत्री का जल शक्ति मिशन कहां तक सफल हुआ है। इस नए मिशन का लक्ष्य है 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर तक पानी पहुंचाने का। फिलहाल हमारे देहाती भाई-बहन जीवन की इस सबसे जरूरी चीज से इतने वंचित हैं कि अनुमान लगाया जाता है कि सिर्फ अठारह फीसद ग्रामीण घरों में जल नल से आता है। आला अधिकारी के साथ बातचीत चल ही रही थी कि असम और त्रिपुरा से हिंसा की खबरें आने लगीं। घर पहुंची और टीवी लगाया तो ऐसे दृश्य देखने को मिले, जिन्होंने असम की पुरानी, डरावनी यादें ताजा कर डालीं।

नेली जनसंहार के दृश्य आंखों के सामने घूमने लगे। खेतों में बिछीं लाशों की वे कतारें और उन कतारों में छोटे बच्चों की नन्ही लाशें, जैसे शिकार के बाद जानवरों की लाशें बिछाई जाती हैं। 18 फरवरी, 1983 के दिन हुआ था यह कत्लेआम, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2191 लोग मारे गए थे, लेकिन जिन चौदह गांवों में यह रक्तपात हुआ था, उनका अनुमान है कि मौतों की संख्या तीन हजार से दस हजार तक जाती है। मरने वालों में बंगाली मुसलिम और हिंदू दोनों थे। उनके घर जलाए गए थे, उनकी संपत्ति लूटी गई और उसके बाद लंबे समय तक असम में अशांति रही।

असम आंदोलन चला तब तक, जब तक राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद असम समझौता करके लोगों के आक्रोश को शांत नहीं किया। तबसे लेकर पिछले हफ्ते तक शांति रही है असम में, बावजूद इसके कि हाल में वहां नागरिकता सिद्ध करने के लिए मोदी सरकर ने मुहिम चलाई है, जिसके तहत उन्नीस लाख विदेशी पाए गए हैं। इनमें ग्यारह लाख हिंदू निकले। कई राजनीतिक पंडित मानते हैं कि यही मुख्य वजह रही है नागरिकता कानून में इस संशोधन को इतनी जल्दी लाने की।

मगर ऐसा लगता है कि गृहमंत्री जी ने असम के इतिहास को भुला कर कदम उठाया है, वरना इतनी जल्दबाजी नहीं करते। असम में स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद कि सेना को तैनात करना पड़ा। त्रिपुरा में भी हिंसक भीड़ें सड़कों पर उतर आईं। कानून तो बन गया है अब, लेकिन असम और त्रिपुरा के लोगों को आश्वस्त कैसे करेगी सरकर कि लाखों बंगाली हिंदुओं और चकमाओं के आने से उनकी सभ्यता, संस्कृति, भाषा और उनके रोजगार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? प्रधानमंत्री झारखंड में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे पिछले सप्ताह, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उनको एक आमसभा को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर के लोगों को कहना पड़ा कि 'आप अपने इस मोदी पर भरोसा कीजिए।'

सच पूछिए तो इस नागरिकता कानून की प्राथमिकता मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूं। माना कि मोदी सरकर का दिल इतना बड़ा है कि चिंता रहती है आसपास के इस्लामी देशों में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और इसाई लोगों की। मगर क्या इस कानून को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या भारत की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को? मोदी के दूसरे दौर में मंदी ऐसी छाई रही है कि अब आम आदमी को भी चुभने लगी है। रोजमर्रा की चीजों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोग बाजारों में सब्जियों के दाम देख कर हैरान रह जाते हैं। प्याज इतने महंगे हो गए हैं कि उनका आयात मिस्र से करना पड़ा।

मुंबई में हाल यह है कि बड़ी-बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं। जिनकी क्षमता अभी तक है निवेश करने की, वे भी निवेश करने से डरते हैं अस्थिरता के कारण। इसका सीधा परिणाम यह है कि रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर मोदी मंत्र जपने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी विधानसभा चुनावों में, तो इसका एक मुख्य कारण यह था कि आम लोगों को वाहन उद्योग में हजारों नौकरियां जाने से खासी चिंता होने लगी थी।

ऊपर से मोदी की समस्या यह भी है कि नागरिकता कानून के कारण उनकी छवि पर दुनिया की नजरों में दाग लग गया है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने पत्रकारों से कहा कि इस कानून का विश्लेषण उनकी मानवाधिकार संस्थाएं कर रही हैं इस नजरिए से कि क्या यह मुसलमानों के साथ भविष्य में अन्याय का आधार तो नहीं बन सकता है। यह बात इस प्रवक्ता की पूरी ही हुई थी कि इमरान खान का बयान आया कि इस कानून से नाजी दौर की बदबू आती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खतरे की घंटी क्या बजाई कि बांग्लादेश के दो मंत्रियों ने भारत के अपने दौरे रद्द कर दिए, इसी नागरिकता कानून का हवाला देकर।

इस कानून ने हमारी अंदरूनी समस्याएं भी बढ़ा दी हैं। संसद में गृहमंत्री ने कई बार कहा कि इस कानून का भारत के मुसलिम नागरिकों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मुसलमानों में डर का माहौल बना हुआ है, खासकर गरीब मुसलमानों में। यह इसलिए कि गृहमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कई बार कि देश भर में नागरिकता साबित करने की मुहिम चलने वाली है, जिसमें हर नागरिक को अपनी नागरिकता का सबूत देना अनिवार्य होगा। सवाल है कि इस मुहिम से हासिल क्या होगा? भारत की समस्याएं और भी हैं प्रधानमंत्री जी, जिनका समाधान ढूंढ़ना ज्यादा जरूरी है।

> इस कानून ने हमारी अंदरूनी समस्याएं भी बढ़ा दी हैं। संसद में गृहमंत्री ने कई बार कहा कि इस कानून का भारत के मुसलिम नागरिकों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मुसलमानों में डर का माहौल बना हुआ है, खासकर गरीब मुसलमानों में।

बाहरी बनाम भीतरी

बाखबर

■ सुधीश पचौरी

नागरिकता संशोधन विधेयक पर संसद में लाइव बहसें जारी थीं। कुछ एंकर पहले से ही आश्वस्त थे कि सरकार के पास लोकसभा में तो प्रचंड बहुमत है ही, राज्यसभा में भी हो जाएगा। शिवसेना की पलटियों को लेकर कुछ एंकर कटाक्ष करते हैं कि अब देखें शिवसेना विधेयक को लेकर क्या 'स्टैंड' लेती है?

राज्यसभा में विधेयक पर बहस करते हुए मनोज झा कहते हैं कि भारत को 'इजराइल' बनाया जा रहा है। चिदंबरम पूछते हैं कि क्या इस विधेयक को विधि विशेषज्ञों को दिखा लिया था? सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देगा! सबसे मनोरंजक हस्तक्षेप कांग्रेस के अधीर रंजन करते हैं, जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे कहने में वे दस मिनट लेते हैं, फिर भी समझ नहीं आता कि क्या कह रहे हैं? टीमएसी के डेरेक ओब्रायन पहले बंगाली में शुरू होते हैं, फिर अंग्रेजी में खत्म करते हैं। वे असम के 'डिटेंशन कैंपों' की तुलना हिटलर की 'कंसेंट्रेशन कैंपों' से करते हैं और नागरिकता के 'महाप्लान' की तुलना हिटलर के 'मेडागास्कर प्लान' से करते हैं। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि पहले कश्मीर हुआ, अब सारा पूर्वोत्तर जल रहा है।... आनंद शर्मा का कहना रहा कि आपने गांधी का चश्मा तो ले लिया, काश आप गांधी के चश्मे से दुनिया को देखते! एक और सांसद ने कहा : 'आइडिया ऑफ इंडिया' खतरे में है। 'हिंदू राष्ट्र' बनाया जा रहा है।

ममता बनर्जी बांग्ला में गर्जना करती दिखती रहीं कि इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। फिर केरल के सीएम विजयन और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह कहते दिखे कि केरल, पंजाब में ये कानून नहीं लागू होंने देंगे।

गृहमंत्री ने अपने जवाबी भाषण में आश्वस्त किया कि यह किसी की नागरिकता 'लेने' का नहीं, बल्कि 'देने' का विधेयक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई आदि को नागरिकता देने की बात है। ये देश इस्लामिक हैं, इसलिए इनमें मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं, इसीलिए वे सूची में नहीं हैं और जो भारतवासी हैं, वे सब भारत के नागरिक हैं, किसी को नहीं निकाला जाएगा।

भाजपा के सांसद स्वप्नदास गुप्ता इस पर कटाक्ष करते हुए सफाई चाहते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि कुछ राज्यों में कानून लागू न हो? जवाब आता है, यह सब पर लागू होगा।

शुरू से ही एक हारी हुई बहस हारती दिखती है। आठ-नौ घंटे के तयशुदा समय में राज्यसभा में भी यह विधेयक पास हो जाता है!

सीन बदल जाता है। एक ओर नए संभव नागरिक नाचते दिखते हैं, तो दूसरी ओर असम, त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन दिखने लगते हैं। आगजनी होती दिखती है। पुलिस आंसू गैस मारती दिखती है। सेना की टुकड़ियां सड़कों पर उतरती दिखती हैं। असम के डिब्रूगढ़, दिसपुर और गुवाहाटी से लेकर त्रिपुरा के अगरतला में लोग टूटी-फूटी हिंदी में अपनी व्यथा सुनाने लगते हैं कि 'बाहरी को हियां लाता तो हम कहां जाता? ये बील एकदौम ठिक नेईं।...'

बृहस्पतिवार के प्राइम टाइम में एक एंकर देर तक चीखता-चिल्लाता दिखा कि निर्भया के अपराधियों को तुरंत फांसी पर लटकाया जाए, ताकि अपने चैनल पर वह उसे लाइव दिखा सके कि जब ऐसे दरिंदों को फांसी पर लटकाया जाता है, तो किस तरह उनकी जान निकलती है और किस तरह से उनकी जीभ मुंह से बाहर निकल कर लटक जाती है।... देर तक वह यही कहता रहा कि फांसी के बाद उनकी लटकती जीभों को वह बार-बार दिखाना चाहता है, ताकि हर रेपिस्ट के मन में इतनी दहशत भर जाए कि वे फिर कभी ऐसी दरिंदगी न कर सकें।

फिर उसे लगा कि इस तरह के 'कंपटीटिव' फांसी प्रसारण के लिए यह मांग तो बहुत कम है, क्योंकि ऐसा तो सब दिखाएंगे। इसलिए और भी उत्तेजित होकर बोलता रहा कि वह चाहता है कि इनके गले में फांसी का फंदा डाल कर उनकी 'पब्लिक हैंगिंग' की जाए, ताकि उनकी जीभ बाहर लटक जाए और वह इसी रूप में उनको लाइव दिखा सकें ताकि रेपिस्टों में दहशत भर जाए और फिर कोई रेप करने से पहले हजार बार सोचे। उसने कहा भी कि उसके लिए बदले का नाम है न्याय!

यों उसने अपने साथ दो पेशेवर जल्लाद बिठा रखे थे, लेकिन इस वक्त वह उनसे भी सवाया जल्लाद और लिंचर बना नजर आ रहा था।

वह फांसी पर लटकाने का आनंद बेच रहा था। एक महिला वकील भी उसकी हां में हां मिलाए जा रही है, जबकि दोनों पेशेवर जल्लाद स्वयं शांत भाव से अंग्रेजी की यह हिंसक गिटपिट सुनते जाते थे।

जब एंकर ही जल्लाद बन जाए, जब एंकर ही फांसी पर लटके आदमी की जीभ को मुंह से बाहर लटकता देखने और दिखाने को उत्तेजित होता दिखे, तब न कोई डिबेट बचती है न तर्क-वितर्क बचता है, सिर्फ फांसी का तख्ता बचता है, जिस पर एंकर स्वयं रस्सी लिए खड़ा नजर आता है।

शुक्रवार की सुबह जिस वक्त अदालत अपराधियों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, उससे पहले ही, लगभग सभी चैनल फांसी फांसी चिल्लाते दिखते थे। एक चैनल ने लाइन लिख कर सीधे अभियान ही चला डाला : उनको अभी लटकाओ! निर्भया परिवार ने मांग की : उनको तुरंत लटकाओ! एक चैनल लाइन देने लगा : 'इंडिया सेज नो मर्सी' यानी भारत कह रहा है कि 'कोई दया नहीं'! एक अन्य चैनल ने खबर ब्रेक की कि तिहाड़ जेल अधिकारियों ने जल्लाद को निमंत्रित किया है।

राहुल ने 'मेक इन इंडिया' को एक रैली में 'रेप इन इंडिया' कह कर ताली ली, तो शुक्रवार की सुबह भाजपा के सांसद राहुल से माफी मंगवाने पर अड़ गए और शोर इतना हुआ कि अध्यक्ष जी को लोकसभा की बैठक कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी!

> शुक्रवार की सुबह जिस वक्त अदालत अपराधियों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, उससे पहले ही, लगभग सभी चैनल फांसी फांसी चिल्लाते दिखते थे। एक चैनल ने लाइन लिख कर सीधे अभियान ही चला डाला : उनको अभी लटकाओ!

www.readwhere.com